न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश,एन०डी०पी०एस० प्रकरण, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी: अजय कुमार भोजक
जिला न्यायाधीश संवर्ग,
विविध फौजदारी प्रकरण संख्या: 89/2026 CIS No. 73/2026
CNR– RJSG070001182026

अनिल उर्फ अन्नू, पुत्र मनीराम उम्र 22 वर्ष, निवासी गली नंबर 2 ब्रहम कॉलोनी नजद बसंती चौक, जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य ––––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र धारा –483 बीएनएसएस (439 दण्ड प्रक्रिया संहिता old)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 81/2026, पुलिस थाना कोतवाली
अपराध अन्तर्गत धारा– 8/21 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री अजय शर्मा विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से।
2. श्री विजेन्द्र कुमार, विशिष्ट लोक अभियोजक– वास्ते राज्य।

–:आदेश:– **दिनांकः 12.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा– 483 बीएनएसएस का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया एवं सम्बधित केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के आवश्यक व सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.03.2026 वक्त 01.19 पीएम पर थानाधिकारी रामेश्वरलाल उपनिरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर मय मुलाजमान के गश्त करते हुए थाना इलाका में गोल बाजार, ब्लाक एरिया, बस स्टैण्ड, पदमपुर मार्ग, सेतिया फार्म, जस्सा सिंह मार्ग, बसंती चौक में गश्त करते हुए वक्त 04.00 पीएम पर बसंती चौक से लवकुश वाटिका गौतम बुध नगर को जाने वाली मुख्य सड़क पर गश्त करते हुए जानकी नगर कॉलोनी के सामने पहुंचे तो एक व्यक्ति सड़क आम पर खड़ा नजर आया जो पुलिस की गाड़ी को अपनी तरफ आती हुई देखकर अचानक से गली नंबर 5 सहयोग नगर की तरफ भागकर पास की दीवार के पीछे छुपने का प्रयास करने लगा, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे काबू कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिल उर्फ अन्नू, पुत्र मनीराम उम्र 22 वर्ष, निवासी गली नंबर 2 ब्रहम कॉलोनी नजद बसंती चौक, जिला श्रीगंगानगर होना बताया, जिसकी तलाशी ली तो प्लास्टिक थैली सहित 59.75 ग्राम हैरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ जिसका लाईसेंस परमिट पूछा तो नहीं होना बताया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं हैरोईन (चिट्टा) का नशा करने का आदी हूं तथा अपना खर्चा न निकालने के लिए आगे हैरोईन (चिट्टा) बेचने का काम भी करता हूं। मुल्जिम ने हैरोईन (चिट्टा) दीपक पुत्र बालीराम उम्र 20 वर्ष, निवासी शुगर मिल रोड, जनता फाउंड्री के पास वार्ड नंबर 63 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर से खरीद करने के कथन किए हैं। इसके पूछताछ कथन धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत लेखबद्ध किये गये। बरामदा चिट्टा में से नियमानुसार सैम्पलिंग की कार्यवाही कर, फर्द बरामदगी तैयार की जाकर, फर्द के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–81/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट दर्ज की गई।

3. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया ।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जमानत

आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व गलत फंसाया गया है, उससे कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी इलाका हाजा का स्थाई निवासी है, जिसके भागने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी दिनांक 01.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

5. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध प्रकट करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध गंभीर अपराध के आरोप हैं। जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की ।

6. उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जा से प्लास्टिक थैली सहित 59.75 ग्राम हैरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ है, जो कि अल्प मात्रा से अधिक है।

7. माननीय राज० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थी का आपराधिक रिकार्ड तलब करने पर पुलिस थाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना
1.	391/19	380, 457 आईपीसी	कोतवाली जिला श्रीगंगानगर
2.	37/21	380, 457 आईपीसी	केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर
3.	398/19	380, 457 आईपीसी	सदर जिला श्रीगंगानगर
4.	30/20	380, 457, 34 आईपीसी	सदर जिला श्रीगंगानगर
5.	145/18	323, 341, 342, 34 आईपीसी	महिला थाना जिला श्रीगंगानगर
6.	41/21	380, 457 आईपीसी	केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर

7. इस प्रकार प्रार्थी का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में समाज में नशे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः प्रकरण में बरामदगी की मात्रा, प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता आदि को मद्दे नजर रखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त अनिल उर्फ अन्नू की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अजय कुमार भोजक)

9. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजय कुमार भोजक)

SUNENA
Steno Gr.III
"Authenticated document"
Digitally signed by SUNENA
Date: 2026.03.12 16:01:18 +0530